न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 39/2025
जी.सी.एम.एस. नं.: 2025/92

1. कमलेश पुत्री मालाराम पत्नी भूपेन्द्र कुमार जाति मेघवाल(चमार) निवासी 14 बीएलडी बी तहसील श्रीविजयनगर

—: वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर

—: प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 राज.काश्त.अधि.

—: निर्णय :—

दिनांक : 04.08.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि —

1. वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड चक 14 बीएलडी सी तहसील श्रीविजयनगर के खाता सं. 57 में दर्ज मु.नं. 20 प.नं. 235/422, प.नं. 236/418 मु.नं. 1. प.नं. 236/419 मु.नं. 2, प.नं. 236/420 मु.नं. 5 व प.नं. 237/420 मु.नं. 4 की कुल 5.832है. कर्माण्ड, अ.क. मय खाला एवं चक 14 बीएलडी बी तहसील श्रीविजयनगर के खाता सं. 52 में दर्ज प.नं. 235/418 मु.नं. 49 की कुल 2.188है. अ.क. भूमि गैर खातेदार दर्ज है। विवादित भूमि पूर्व में मूल आवंटी जेठाराम पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज थी जिसके द्वारा बैंक से ऋण लिया गया तथा ऋण चुक्ता नहीं करने के कारण भूमि निलाम की गयी जो कि वादीया द्वारा क्रय की गयी। इसलिए उक्त भूमि वादीया की क्रयशुदा भूमि है। भूमि राजस्व रिकार्ड में निलामी आधार पर वादीया के नाम से गैर खातेदारी दर्ज हो गयी। भूमि की समस्त किश्तें खजाना राज जमा हो जाने के बाद दिनांक विवादित भूमि की खातेदारी सनद भी मूल आवंटी जेठाराम के नाम से दिनांक 19.11.1996 को जारी हो चुकी है। लेकिन भूमि आज भी रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज चली आ रही है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में वतौर निलामी क्रेता वादीया के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। भूमि की खातेदारी सनद मूल आवंटी के नाम से जारी हो चुकी है तथा भूमि निलामी के माध्यम से वादीया को अन्तरित हो गयी है ऐसी स्थिति में भूमि के समस्त हक एवं अधिकार अब वादीया में निहित है इसलिए उक्त खातेदारी सनद का अपने पक्ष में अमलदरामद करवाने की वादीया अधिकारी है। वादीया द्वारा प्रतिवादी को वादीया के नाम से भूमि राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:32:07 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी दर्ज करने हेतु बार बार निवेदन किया। परन्तु प्रतिवादी द्वारा भूमि वादीया के नाम से खातेदारी दर्ज नहीं की है। प्रथमतः तो प्रतिवादी आज कल आज कल करते रहे अन्ततः दिनांक 09.12.2024 को स्पष्ट इंकार हो गये। यही तारीख बिनाए दावा है। इसलिए वादीया को न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। वादीया का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित भूमि चक 14 बीएलडी सी तहसील श्रीविजयनगर के खाता सं. 57 में दर्ज मु.नं. 20 प.नं. 235/422, प.नं. 236/418 मु.नं. 1. प.नं. 236/419 मु.नं. 2, प.नं. 236/420 मु.नं. 5 व प.नं. 237/420 मु.नं. 4 की कुल 5.832 है. कमाण्ड, अ.क. मय खाला एवं चक 14 बीएलडी बी तहसील श्रीविजयनगर के खाता सं. 52 में दर्ज प.नं. 235/418 मु.नं. 49 की कुल 2.188है. अ.क. का वादी को खातेदार घोषित करने एवं राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि वादीया के नाम से गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार अंकन हेतु आदेश प्रतिवादी को दिया जाने के लिए निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से राजपैरोकार जवाब सरकार पेश कर राज्यहित को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया। तनकीयात कायम की गयी। वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र वादीया का पेश हुआ जिस पर ब्यान दर्ज कर दस्तावेज प्रदर्श लगाए गए। वादीया को वाद पत्र पर सुना गया।

3. पत्रावली का अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्नांकित अनुसार है :–

तनकी सं. 1 :– आया कि वादीया विवादित भूमि चक 14 बीएलडी सी खाता सं. 57 में दर्ज मु.नं. 20, 1, 2, 4 व 5 की कुल 5.832है. कमाण्ड, अ. क. मय खाला एवं चक 14 बीएलडी बी खाता सं. 52 में दर्ज मु.नं. 49 की कुल 2.188है. अ.क. भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है ? –वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है, वादी के द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेज प्र[illegible]णित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2075–2078 चक [illegible] श्रीविजयनगर के खाता सं. 57 जिसके अनुसार वादी के नाम से चक 14 बीएलडी सी मु.नं. 20 प.नं. 235/422 कि.नं. 1–2–9–10–11–20 प्रत्येक 0.253 तथा प.नं. 236/418 मु.नं. 1 कि.नं. 15/.114, 23/.076, 24/.063, 25/.253, प.नं. 236/419 मु.नं. 2कि.नं. 6–14–15–17–18 प्रत्येक 0.253, 22/3/.114, 23/1/.227, 24/1/.228, 25/2/.228, प.नं. 236/420 मु.नं. 5 कि.नं. 21/2/

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:32:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

0.228, 22/.253, 23/.253, 24/.253, 25/1/.228, 25/2/0.025 खाला, प.नं. 237/420 मु.नं. 4 कि.नं. 6/.013, 15/.038, 16/.152, 23/.038, 24/.012, 25/.253 खाता में कुल 5.832है. कमाण्ड, अ.क. मय खाला भूमि गैर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श 2 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2075–2078 चक 14 बीएलडी बी तहसील श्रीविजयनगर के खाता सं. 52 अनुसार वादी के नाम से चक 14 बीएलडी बी प.नं. 235/418 मु.नं. 49 कि.नं. 1/2/.164, 10–11–18–19–20–21–22–23 की कुल 2.188है. अ. क. भूमि गैर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–3 प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा उपजिला कलैक्टर रायसिंहनगर को निलामी स्वीकृति बाबत लिखा गया पत्र क्रमांक/434 दिनांक 09.03.1995 है। प्रदर्श सं. 4 प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा पटवारी हल्का 14 बीएलडी बी/सी को भूमि का कब्जा वादी को सम्भलवाए जाने हेतु लिखा गया पत्र क्रमांक/टीआरए/95/608 दिनांक 07.04.1995 है। प्रदर्श–5 प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर को प्रेषित पत्र क्रमांक/टीआरए/1421 दिनांक 15.07.1996 है, जिसके द्वारा कमलेश पुत्री मालाराम को खातेदारी प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रदर्श–6 प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा सेल प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर को प्रेषित पत्र क्रमांक 141 दिनांक 07.05.2013 है। प्रदर्श–7 प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर को प्रेषित पत्र क्रमांक 495 दिनांक 22.05.2019 है, जिसके द्वारा प्रार्थीया कमलेश के प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थी के नाम से खातेदारी इन्तकाल दर्ज करने पर रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रदर्श–8 प्रतिलिपि तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर को प्रेषित पत्र क्रमांक 2023/278 दिनांक 26.10.2023 है, जिसके द्वारा प्रार्थीया कमलेश के प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थी के नाम से खातेदारी इन्तकाल दर्ज करने पर रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रदर्श–9ए तहसीलदार श्रीविजयनगर के कार्यालय में विवादित भूमि निलामी द्वारा क्रय करने पर निलामी राशि जमा करवाने की रसीद सं. 000051 राशि 63,000/– रूपये की छायाप्रति है। प्रदर्श–10ए तहसीलदार श्रीविजयनगर के कार्यालय में विवादित भूमि निलामी द्वारा क्रय करने पर निलामी राशि जमा करवाने की रसीद सं. 000052 राशि 1,88,000/– रूपये दिनांक 27.03.1995 की छायाप्रति है। प्रदर्श–11 प्रमाणित प्रतिलिपि जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद क्रमांक 077858 दिनांक 19.11.1996 है। प्रदर्श–12ए पत्र तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा उप पंजीयक श्रीविजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:32:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

को जारी कर वादीया कमलेश को प्रति प्रेषित की गयी क्रमांक/381 दिनांक 04.05.2022 है, जिसके द्वारा उप पंजीयक श्रीविजयनगर को विक्रय प्रमाण पत्र की स्टाम्प ड्यूटी/पंजीयन कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है। प्रदर्श–13 उपपंजीयक श्रीविजयनगर से प्रमाणित पंजीबद्ध दस्तावेज तहसीलदार श्रीविजयनगर के कार्यालय द्वारा जारी भूमि के विक्रय का प्रमाण पत्र(संख्याक 38) दिनांक 20.05.2016 पुनः वैध दिनांक 17.08.2022 प्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, ठण्डी, रायसिंहनगर बहक कमलेश पुत्र मालाराम पंजीबद्ध दस्तावेज सं. 202201117005122 पंजीबद्ध दिनांक 22.11.2022 है।

प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 13 भूमि के विक्रय का प्रमाण पत्र(संख्याक 38) दिनांक 20.05.2016 पुनः वैध दिनांक 17.08.2022 प्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, ठण्डी, रायसिंहनगर बहक कमलेश पुत्र मालाराम पंजीबद्ध दस्तावेज सं. 202201117005122 पंजीबद्ध दिनांक 22.11.2022, प्रदर्श – 11 सनद, प्रदर्श 9ए व 10ए वादीया की ओर से राशि जमा करवाने बाबत रसीदों का अवलोकन किया। उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादीया की राको(रोडा) के तहत कुर्कशुदा भूमि निलामी में क्रयशुदा है, जिसकी खातेदारी सनद भी जारी हो चुकी है, लेकिन भूमि निलामी से क्रयशुदा होने के कारण वादीया के नाम गैर खातेदारी ही दर्ज हो गयी है जिसका सनद आधार पर नामान्तरण नहीं हुआ है। प्रदर्श–7 व प्रदर्श–8 प्रतिवेदन तहसीलदार श्रीविजयनगर का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि प्रदर्श –1 व प्रदर्श सं. 2 जमाबंदी में दर्ज विवादित भूमि वादीया की निलामी द्वारा क्रयशुदा गैर खातेदारी भूमि है जिसकी खातेदारी सनद जारी हो चुकी है, लेकिन रिकार्ड में अमलदरामद नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वादीया सद्भावी निलामी क्रेता होने के कारण विवादित भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की विधिक अधिकारी है। अतः तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

4. **तनकी सं. 2(अनुतोष) :-** चूंकि वादीया तनकी सं. 1 अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रही है ऐसी स्थिति में वादीया का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:32:07 IST
Reason: SelfAttested

-: आदेश :-

5. उपर्युक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वाद डिक्री किया जाता है कि –

"विवादित भूमि चक 14 बीएलडी सी तहसील श्रीविजयनगर के खाता सं. 57 में दर्ज मु.नं. 20 प.नं. 235/422, प.नं. 236/418 मु.नं. 1. प.नं. 236/419 मु.नं. 2, प.नं. 236/420 मु.नं. 5 व प.नं. 237/420 मु.नं. 4 की

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

कुल 5.832 है. कमाण्ड, अ.क. नय खाला एवं चक 14 बीएलडी बी तहसील श्रीविजयनगर के खाता सं. 52 में दर्ज प.नं. 235/418 मु.नं. 49 की कुल 2.188है. अ.क. का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीया के नाम से खातेदार अमलदरामद करें।" इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आरएस
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:32:07 IST
Reason: SelfAttested